मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 ''सी'' विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. / 8401 / NREGS-M.P / वित्त एवं लेखा / 2010 भोपाल,दिनांक 10 / 08 / 10

महत्वपूर्ण बैठक

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला समस्त.............(म.प्र.)

विषयः– महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद अंतर्गत प्रशासकीय व्यय की समीक्षा बैठक विषयक।

::::::00::::::

उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय में दिनांक 13 / 08 / 2010 को समस्त लेखाधिकारियों की नरेगा के प्रशासकीय व्यय के संबंध में समीक्षा बैठक मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इस समीक्षा बैठक में निम्न बिंदुओं पर समीक्षा की जायेगी।

1. आपके जिले को सूचित की गई प्रशासनिक व्यय सीमा उसके विरूद्ध हुआ अभी तक का प्रशासनिक व्यय।

2. प्रशासनिक व्यय के संबंध में संपूर्ण विवरण जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत की बैठकों में रखने का पालन प्रतिवेदन।

3. प्रशासनिक व्यय के संबंध में प्रथम अनुपूरक राशि सीमा की मांग का प्रथम प्रस्ताव प्रपत्र–5 में।

4. प्रशासनिक व्यय के संबंध में गत तीन माह का व्यय पत्रक प्रपत्र–10 में। यह भी निर्देशित किया जाता है कि ग्रामीण संपर्क सड़क योजना के अंतर्गत संबंधित कार्यपालन यंत्रियों द्वारा नरेगा प्रशासनिक मद से किया गया प्रशासनिक व्यय भी आपके स्तर पर कार्यपालन यंत्री द्वारा एमआईएस किया जाना है। इस संबंध में निर्देश पूर्व में पत्र क्र 8097 दिनांक 31 / 07 / 2010 द्वारा प्रसारित किए गए हैं (छायाप्रति संलग्न है) कार्यपालन यंत्रियों की जानकारी भी पृथक से प्रपत्र 10 में तैयार करनी है एवं उसको भी साथ में लाना है। साथ ही पृथक–पृथक दोनों जानकारियों का समेकित प्रपत्र–10 भी तैयार कर लाना होगा।

5. वित्त वर्ष 2009–10 का सी.ए. ऑडिट कराने के लिए दिनांक 15 / 08 / 2010 तक की समय सीमा रखी गई है, अतः इस संबंध में कार्य की स्थिति लानी होगा। प्रपत्र निम्नानुसार है।

अ– प्रपत्र–1

क्र.	जनपद का नाम	जनपद के अधीन ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल ग्राम पंचायतों का कराया गया ऑडिट	शेष ग्राम पंचायतें	ऑडिट कार्य पूर्ण होने का प्रतिशत

ब– जिले के ऑडिट कार्य को पूर्ण कराने का रोडमैप।

E:\Aks-jcfa-\NERGS-MP- Letter-JCFA.doc

अवगत हों कि यदि समय सीमा में ऑडिट नहीं हो पाया तो भारत सरकार से केन्द्रांश नहीं मिलेगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी।

6. वित्त वर्ष 2008–09 के अंतिम शेष के आंकड़े जो कि वित्त वर्ष 2009–10 के प्रारंभिक शेष के आंकड़े होगें एवं इसी प्रकार से वित्त वर्ष 2009–10 के अंतिम शेष के आंकड़े जो कि वित्त वर्ष 2010–11 के प्रारंभिक शेष के आंकड़े होगें, इस तारतम्यता में वित्त वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 का उपयोगिता प्रमाणपत्र, बी–16 एव बी–17 संबंधी प्रमाणपत्र

दिनांक 11/03/2010 तक ई–मेल द्वारा jcfinance_nreg@rediffmail.com, nrega_audit@rediffmail.com पर प्रेषित कर दी जावे।

कृपया उक्त बैठक में समय सारणी अनुसार लेखाधिकारी अथवा वह अधिकारी जो विषय का पूर्ण ज्ञान रखता को को भेजने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

बैठक विध्यांचल भवन, विकास आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में 2 P.m बजे से आरंभ होगी।

R. Saxena 9/3/1

(डॉ. राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

E:\Aks-jcfa-\NERGS-MP- Letter-JCFA.doc

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / 8097 / NR-4/2010 भोपाल, दिनांक 31 / 07 / 10

महत्वपूर्ण समय सीमा

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी–स्कीम
जिला समस्त (म.प्र.)

विषयः– ग्रामीण सम्पर्क सडक योजना हेतु प्रदाय नरेगा प्रशासनिक मद के एम.आई.एस. किये जाने बाबत्।

संदर्भः– 1. म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 3630 / एमजीएनआरईजीएस एम.पी. / एनआर–4 / 2010 भोपाल दिनांक 14 / 04 / 2010 (बारह मासी सडक योजना परिपत्र–5)।

2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 6472 वित्त एवं लेखा एनआर4 / एनआरईजीएस एमपी / 2010 / भोपाल दिनाक 30 / 06 / 2010

–––000–––

विषयान्तर्गत संदर्भ में ग्रामीण सम्पर्क सडक योजना हेतु संदर्भित पत्र के तारतम्य में आपसे संबंधी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को नरेगा प्रशासनिक मद की राशि आपके माध्यम से प्रदाय की गई है।इससे आप भली भॉति अवगत है।

लेख है कि सम्बंधित कार्यपालन यंत्री को तत्काल निर्देशित करे कि इस मद में हुय व्यय की नियमानुसार एम.आई.एस. करायेगें साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के स्तर पर किये जा रहे एम.आई.एस. में कार्यपालन यंत्री द्वारा किया गया व्यय भी सम्मिलित रहेगा।

परन्तु इस संबंध में किया जा रहा व्यय स्पष्ट रहे अतः आपके कार्यालय पर जिले के नरेगा प्रशासनिक व्यय एवं ग्रामीण सम्पर्क सडक योजना संबंधी नरेगा प्रशासनिक व्यय पृथक–पृथक प्रपत्र–10 (यह प्रपत्र आपको परिषद के पत्र क्र. 4618 वित्त एवं लेखा / एनआर–4 / एनआरईजीएस एम पी / भोपाल दिनांक 06 / 05 / 2010 द्वारा भेजा गया है) में संधारित किया जाकर परिषद मुख्यालय को पृथक–पृथक प्रतिमाह की 15 तारीख तक भेजा जायेगा।

कार्यपालन यंत्रियो को इस कार्यालय के पत्र क्र. 6472 वित्त एवं लेखा एनआर–4 / एनआरईजीएसएमपी / 2010 / भोपाल दिनांक 30 / 06 / 2010 द्वारा (जिसकी प्रतिलिपि आपको भी दी गई है) नरेगा प्रशासनिक व्यय रिपोर्ट करने के प्रपत्र भेजे गये है इन प्रपत्रो का भी संधारण आपको करना है। परिषद द्वारा इस संबंध में आपसे जानकारी चाही जायेगी। इन्ही प्रपत्रो से प्रपत्र–10 तैयार किया जायेगा। कार्यपालन यंत्रियो के प्रशासनिक व्यय में एफ–24 कोड पृथक से खोला गया है। यह कोड आपके कार्यालय के लिये लागू नही है।

निरं.

अतः चाही गई जानकारी प्रतिमाह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें एवं कार्यपालन यंत्री से अनिवार्य रूप से एम.आई.एस. कराना सुनिश्चित करें।

31/7/10

(शिवशेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय भोपाल

पृ.क्रमांक / 8098/ NR-4/2010 भोपाल, दिनांक 31/07/10

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विन्ध्याचल भवन भोपाल।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत................समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा समस्त जिले........................(म.प्र.)की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार तत्काल समय सीमा में जिला कार्यक्रम समन्वयक से सम्पर्क कर एम.आई.एस. कराना सुनिश्चित करे यह आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

31/7/10

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय भोपाल